कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा

क्रमांक/ पुमनि/सर/आर-2/ई/१२० /2020 दिनांक 16 /01/2020

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
छत्तसगढ़, रायपुर।

विषय :- श्री सदानंद कुमार(भापुसे.) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा की गई घोर आर्थिक अनियमितता व 98,33,930.00 (अंठानबे लाख तैंतीस हजार नौ सौ तीस) के शासकीय धन का दुरूपयोग करने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक [redacted] (अस्ताक्षरित), भारत सम्मान न्यूज सरगुजा के शिकायत पत्र के परिप्रेक्ष्य में आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की तस्दीक उपरांत लगाए गए आरोप तथ्यात्मक होने से जांच मेरे द्वारा कराई गई। शिकायत में बलरामपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री सदानंद कुमार तथा उनके अधिनस्थ कार्यरत एम.टी. शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में थी। इस विषय में इस बात की भी पूर्व में चर्चा मेरे संज्ञान में थी कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज श्री सदानंद कुमार के द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के दरम्यान आवश्यकता से अधिक पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल की खपत दिखाकर बिना वास्तविक रूप से पी.ओ.एल. लिए हुए शासकीय देयकों से राशि आहरित कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है। साथ ही मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी आया कि ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर में भी इस संबंध में शिकायत की गई है अतः इस अहस्ताक्षरित शिकायत के मिलने पर तथ्यों की जानकारी के लिए मैंने वास्तविक जांच कराई। इस हेतु मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज श्री प्रशांत कतलम की अध्यक्षता में चार अन्य सदस्यों 01. श्री संतोष वर्मा, मुख्य लिपिक, जिला सूरजपुर 02. श्री रामबिलास, उ.नि. (अ), प्रभारी मुख्य लिपिक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज 03. श्री रियाजुद्दीन खान, उ.नि. (अ), पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, सरगुजा रेंज 04. श्री रविन्द्र साहू, स.उ.नि.(अ), जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की समिति बनाई जाकर उन्हें उक्त अवधि में अभिलेखों का परीक्षण कर एवं आवश्यक कथन लेकर जांच हेतु आदेशित किया गया।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24.12.2019 को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जो प्रदर्श "एन" है। जांच समिति के द्वारा जांच पर 118710 (एक लाख अठारह हाजर सात सौ दस लीटर) लीटर डीजल, 43978 (तिरालिस हजार नौ सौ अठहत्तर ली. पेट्रोल, 95 (पन्चानवे) लीटर मोबिल का अतिक्ति आबंटन बिना किसी वैध दस्तावेज के होना पाया गया जिसकी कुल राशि समिति द्वारा 1,05,50,293.62 (एक करोड़ पांच लाख पचास हजार दो सौ तिरानबे रू.) होना लेख किया गया है। मेरे द्वारा पुनः सभी दस्तावेजों की समीक्षा की गई जिसमें डीजल, पेट्रोल एवं मोबिल की कुल मात्रा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में

Scanned by CamScanner

अंकित मात्रा के बराबर पाई गई किन्तु राशि 98,33,930.00 (अंठानबे लाख तैंतीस हजार नौ सौ तीस) रूपये के शासकीय धन का दुरूपयोग किया जाना पाया गया।

जांच पर यह पाया गया कि बलरामपुर जिले में पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार दिनांक 27.02.2015 से 14.07.2017 तक पदस्थ रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नियमित उपयोग के अतिरिक्त जिले में पदस्थ सी.आर.पी.एफ. की बटालियन को पी.ओ.एल. का प्रदाय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एस.आर.ई. मद के अंतर्गत किया जाता है और इसका भुगतान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किया जाता है, जिसके लिए पृथक से बजट पुलिस अधीक्षक को आबंटित किया जाता है इस बजट के नियंत्रण और समुचित उपयोग की जिम्मेदारी, साथ ही हिसाब रखने का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक का रहता है। एस.आर.ई. के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल के क्रय, वितरण की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के अधिनस्थ कार्यरत जिले की एम.टी.ओ. शाखा के द्वारा रक्षित निरीक्षक के पर्यवेक्षण में की जाती है।

जांच में पाया गया कि जिस पुलिस अधीक्षक को जिले के कानून-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के साथ इस परियोजन हेतु आबंटित धनराशि की Custodian (संरक्षक) होने, समुचित रूप से व्यय करने व उसका निर्धारित अभिलेख संधारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अपने इस कर्तव्यों से विमुख रहे।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

श्री सदानंद के कार्यकाल में एस.आर.ई. स्कीम में पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल प्राप्त करने वाले 62वीं वाहिनी तथा 81 वीं वाहिनी सी.आर.पी.एफ. से जारी मांग पत्र और उनके द्वारा प्रदत्त पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल की जानकारी ली गई तथा इस अवधि में उक्त बटालियन को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर की एम.टी. शाखा से जारी पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल की स्वीकृति व भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन तीन वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार मांग से अधिक पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल प्रदाय कर भुगतान किया गया है :-

मांग पत्र के अनुसार आहरित पी.ओ.एल. एस.आर.ई. के बिलों का विवरण

वर्ष	प्रदर्श	विवरण	डीजल		पेट्रोल		मोबिल	
			मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि
2015	"बी-1"	मांग पत्र, वितरण पंजी एवं स्टॉक रजिस्टर के आधार पर वितरित पी.ओ. एल.	22105	1168262	2995	192935	46	12453
2016	"बी-2"		12705	727985	2500	163105	50	14930
2017	"बी-3"		17170	1085508	4800	340771	40	11225
कुल मात्रा एवं राशि			51980	2981755	10295	696811	136	38608

Scanned by CamScanner

बिना मांग पत्र के अनुसार आहरित पी.ओ.एल. एस.आर.ई. के बिलों का विवरण

वर्ष	प्रदर्श	विवरण	डीजल		पेट्रोल		मोबिल	
			मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि
2015	"ई-1"	बिना मांग पत्र, वितरण पंजी एवं स्टॉक रजिस्टर के आधार पर वितरित पी.ओ.एल.	32220	1688171	8400	531858	35	10700
2016	"ई-2"		41600	2382025	16728	1081101	10	2780
2017	"ई-3"		44890	2810373	18850	1311900	50	15022
कुल मात्रा एवं राशि			118710	6880569	43978	2924859	95	28502

इस प्रकार पाया गया कि इस अवधि में बटालियनों को वास्तविक रूप से आबंटित पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल ("**प्रदर्श-बी**") से बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल का आबंटन दर्शाकर और उसके बिलों का ट्रेजरी से आहरण कर अंतर की राशि **98,33,930.00 (अंठानबे लाख तैंतीस हजार नौ सौ तीस)** का (डीजल, पेट्रोल, मोबिल) शासकीय उद्देश्य से भिन्न उद्देश्यों में अपने लाभ के लिए श्री सदानंद कुमार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज एवं उनके अधिनस्थ संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया है, जो "**प्रदर्श-ई**" में दर्शित है।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

एस.आर.ई. स्कीम में पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल के क्रय, आबंटन व भुगतान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया :-

01. समीक्षा पर पाया गया कि डीजल/पेट्रोल आहरण के संबंध में एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत शासकीय कार्य हेतु डीजल/पेट्रोल की आवश्यकता होने पर संबंधित वाहिनी अथवा कंपनी द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम पर एक मांग पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस अधीक्षक अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा रक्षित निरीक्षक व एमटीओ को अग्रेषित किया जाता है, तथा एमटीओ द्वारा उक्त मांग पत्र के आधार पर वाहन शाखा में संधारित पी.ओ.एल. वितरण रजिस्टर में इन्द्राज करने के पश्चात पेट्रोल पंप के नाम से तेल की मात्रा दर्ज करते हुए जारीकर्ता द्वारा सील/हस्ताक्षर के साथ पर्ची काटा जाता है। पर्ची बुक तीन प्रति में होती है, एक प्रति ऑफिस प्रति के रूप में कार्यालय में रखी जाती है एवं शेष दो प्रति पेट्रोल पंप के लिए संबंधित को दिया जाता है। जिसमें से एक प्रति पेट्रोल पंप द्वारा स्वयं के रिकॉर्ड हेतु रखा जाता है तथा एक प्रति बिल आहरण हेतु बिल में संलग्न कर पुलिस अधीक्षक के नाम से एम.टी. शाखा को माह के अंत में पेट्रोल पंप द्वारा प्रेषित किया जाता है।

02. पंप संचालकों द्वारा प्रेषित पी.ओ.एल. बिल के प्राप्त होने पर वाहन शाखा प्रभारी द्वारा बिल का परीक्षण कर पी.ओ.एल. स्वीकृत रजिस्टर में इन्द्राज पश्चात रक्षित निरीक्षक के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जो रक्षित निरीक्षक द्वारा बाद परीक्षण तथा हस्ताक्षर के बिल की स्वीकृति हेतु पुलिस

Scanned by CamScanner

अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बिलों की स्वीकृति पश्चात वाहन शाखा प्रभारी द्वारा मूल स्वीकृत बिलों को आहरण व संवितरण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कंटीजेंसी शाखा में प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिल तैयार कर कोषालय में आहरण एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जहां से कोषालय द्वारा बिल पास कर सीधे पंप संचालकों को ऑनलाईन बैण्डर पेमेंट कर दिया जाता है। इसी तरह थाना प्रभारी सामरी के द्वारा भी सी.आर.पी.एफ. की कंपनियों को जारी पर्चियों के आधार पर पंप संचालकों के माध्यम से वाहन शाखा में प्राप्त बिलों का परीक्षण, स्वीकृति एवं आहरण की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार अपनाई जाती है।

03. समीक्षा अवधि में आहरण, आबंटन एवं भुगतान एवं बिलों के सत्यापन, स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारियों के नाम एवं पदस्थापना अवधि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम/बैच नंबर	नाम अधि./कर्म.	रक्षितकेन्द्र/एमटी शाखा में पदस्थ/संबद्धता	इकाई में आमद/भर्ती दिनांक	कार्यमुक्त/कार्यभार मुक्त दिनांक
1	पुलिस अधीक्षक	श्री सदानंद कुमार, भापुसे	-	27.02.2015	14.07.2017
2	रक्षित निरीक्षक	श्री कुलदीप मिंज	20.10.2011 से 16.08.2015	20.10.2011	20.08.2016
3	प्रभारी रक्षित निरीक्षक (सूबेदार)	श्री जितेंद्र चन्द्रा	16.08.2015 से 24.12.2015	18.03.2015	26.06.2016
4	प्रभारी रक्षित निरीक्षक (सूबेदार)	श्री विमलेश देवांगन	24.12.2015 से 24.04.2016	27.04.2015	29.11.2016
5	प्रभारी रक्षित निरीक्षक (उप निरी.)	श्री जयसिंह खूंटे	24.04.2016 से 02.10.2016	09.04.2014	29.08.2018
6	प्रभारी रक्षित निरीक्षक (सूबेदार)	श्री मुकेश जोशी	02.10.2016 से 24.08.2018	19.06.2016	21.08.2018
7	प्र.आर. 108	श्री कल्याण सिंह, (MTO के रूप में कार्यरत)	22.04.2004 से 07.10.2018 तक	22.04.2004	अब तक

NEWS TODAY CHHATTISGARH

Scanned by CamScanner

04. समीक्षा/जांच के तारतम्य में वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के दौरान पदस्थ रक्षित निरीक्षक, वाहन शाखा प्रभारी, वाहन शाखा के कार्यालय में कार्यरत तथा उपलब्ध निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों का कथन जांच समिति के प्रभारी द्वारा लिया गया, जो **"प्रदर्श- एन"** में 11 प्रतियों में पृथक से संलग्न है :-

01. उप सेनानी, 62 वीं वाहिनी, सी.आर.पी.एफ., श्री आर.पी. यादव।
02. रक्षित निरीक्षक, जी.आर.पी.एफ. श्री कुलदीप मिंज, जिला रायपुर।
03. सूबेदार श्री विकास नारंग, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
04. उप निरीक्षक श्री जयसिंह खूंटे, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
05. उप निरीक्षक एम.टी. श्री हेरमन कुजूर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
06. प्र.आर. 108 कल्याण सिंह, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
07. स.उ.नि. (एम.टी.), श्री बाबूलाल धीवर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज। (दो प्रतियों में)
08. आर. 871 प्रदीप एक्का, रक्षित केन्द्र, बलरामपुर।
09. आर. 186 श्री राजेश कुजूर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

आवेदक [redacted] सरगुजा एवं अन्य लोगों को कथन हेतु बुलाए जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। जिससे उनके कथन नहीं लिए जा सके।

जिले में वर्ष 2015 से वर्ष 2017 की अवधि में जिले में तैनात सी.आर.पी.एफ.62 वीं वाहिनी के अतिरिक्त सी.आर.पी.एफ. 81 वीं वाहिनी की कंपनियों को भी रक्षित केन्द्र के वाहन शाखा अथवा थाना प्रभारी सामरी के माध्यम से पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल की पर्ची निम्नानुसार पंप संचालकों के नाम से जारी की गई है :-

NEWS TODAY CHHATTISGARH

01. मे. कांशी पेट्रोल पंप, गोपातु।
02. मे. श्री जोगी फ्यूल, बलरामपुर।
03. मे. सूर्या फ्यूल, बलरामपुर।
04. सागर फ्यूल, चंदननगर, रामानुजगंज।
05. अनिल ऑटो सर्विस, रामानुजगंज।
06. विकास पेट्रोल पंप, झिंगो।
07. सरगुजा सर्विस स्टेशन, राजपुर।
08. अंबिका पेट्रोल पंप, अंबिकापुर।

Scanned by CamScanner

5. संपूर्ण जांच के दौरान पाई गई आर्थिक अनियमितता का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के दौरान एस.आर.ई. पी.ओ.एल. मद से आहरित/संवितरित पी.ओ. एल. बिल का विवरण :-

वर्ष	प्रदर्श	विवरण	डीजल		पेट्रोल		मोबिल	
			मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि
2015	"ए-1"	प्रदाय पर्ची के आधार पर आहरित एवं संवितरित पीओएल की संयुक्त सूची	54325	2856432	11395	724794	81	23153
2016	"ए-2"		54305	3110010	19228	1244206	60	17710
2017	"ए-3"		62060	3895881	23650	1652671	90	26246
कुल मात्रा एवं राशि			**170690**	**9862323**	**54273**	**3621653**	**231**	**67109**

02. वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के दौरान सीआरपीएफ कंपनियों से प्राप्त मांग पत्र (इंडेण्ट), उनके स्टॉक का आमद पंजी, लाईन के वाहन शाखा में संधारित पी.ओ.एल. वितरण पंजी तथा जारी पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल पर्ची के काउण्टर पर्ची के मिलान करने पर निम्नानुसार पी.ओ.एल. की मात्रा मांग, वितरण एवं स्टॉक आमद के अनुरूप होना पाया गया :-

वर्ष	प्रदर्श	विवरण	डीजल		पेट्रोल		मोबिल	
			मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि
2015	"बी-1"	मांग पत्र, वितरण पंजी एवं स्टॉक रजिस्टर के आधार पर वितरित पी. ओ.एल.	22105	1468262	2995	192935	46	12453
2016	"बी-2"		12705	727985	2500	163105	50	14930
2017	"बी-3"		17170	1085508	4800	340771	40	11225
कुल मात्रा एवं राशि			**51980**	**2981755**	**10295**	**696811**	**136**	**38608**

NEWS TODAY CHHATTISGARH

03. वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के दौरान सीआरपीएफ कंपनियों से प्राप्त मांग पत्र (इंडेण्ट), उनके स्टॉक का आमद पंजी, लाईन के वाहन शाखा में संधारित पी.ओ.एल. वितरण पंजी तथा जारी पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल पर्ची के अतिरिक्त आहरित, आबंटित एवं भुगतान किए गए पी.ओ.एल. बिल की जानकारी (बिन्दु क्र. 2 के अतिरिक्त, जिसके संबंध में वैध दस्तावेज नहीं पाया गया) :-

वर्ष	प्रदर्श	विवरण	डीजल		पेट्रोल		मोबिल	
			मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि	मात्रा (ली में)	राशि
2015	"ई-1"	बिना मांग पत्र, वितरण पंजी एवं स्टॉक रजिस्टर के आधार पर वितरित पी.ओ.एल.	32220	1688171	8400	531858	35	10700
2016	"ई-2"		41600	2382025	16728	1081101	10	2780
2017	"ई-3"		44890	2810373	18850	1311900	50	15022
कुल मात्रा एवं राशि			**118710**	**6880569**	**43978**	2924859	**95**	**28502**

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वर्ष जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 के दौरान डीजल 118710 ली., पेट्रोल 43978 ली., मोबिल ऑयल 95 ली. जुमला कीमति रूपये **98,33,930.00 (अंठानबे लाख तैंतीस हजार नौ सौ तीस)** का सी.आर.पी.एफ. कंपनियों के नाम से जारी पर्ची के आधार पर आहरित एवं संवितरित पर्चियों का डीजल/पेट्रोल के वितरण करने के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध हैं परंतु सी.आर.पी.एफ. के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर उनके द्वारा अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल प्राप्त करना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार समीक्षा पर पाया गया कि एस.आर.ई. मद के पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल जिले में कार्यरत सी.आर.पी.एफ. 62 बी.एन. एवं 81 बी.एन. को प्रदाय करने के अलावा सी.आर.पी.एफ. 62 बी.एन. एवं सी.आर.पी.एफ. 81 बी.एन. सी.आर.पी.एफ. के नाम से डीजल/पेट्रोल की पर्चियां काटी गई हैं एवं डीजल/पेट्रोल अन्य को दिया गया है तथा अधिकांशतः किसे दिया गया समीक्षा में पता नहीं चला। अधिकांश पर्ची में पर्ची जारी कर्ता प्रधान आरक्षक कल्याण सिंह हैं। जिन्होंने अपने कथन में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं दिया है। बार-बार अवसर देने के पश्चात भी अनावश्यक पेशबंदी में आवेदन पत्र पेश करता रहा, परंतु समीक्षा अवधि में आहरित अतिरिक्त आबंटन के संबंध में कोई जानकारी देने का प्रयास भी नहीं किया गया। आवेदन पत्र का उद्देश्य मात्र बचाव हासिल करना था। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/पुमनि/सर/आर-2/3709/2019 दिनांक 11.11.19, पत्र क्रमांक/पुमनि/सर/आर-2/3709-बी/2019 दिनांक 03.12.19 एवं पत्र क्रमांक/पुमनि/सर/आर-2/4115/2019 दिनांक 20.12.19 के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु क्रमशः दिनांक 22.11.2019, दिनांक 07.12.2019 एवं दिनांक 26.12.2019 को कार्यालय में तलब किया गया था। जिसकी छायाप्रति प्रदर्श **"आर-1, आर-2 एवं आर-3"** पर संलग्न है।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड एवं उपलब्ध कथनों की समीक्षा की गई, परंतु मेरा किसी भी रीति से यह समाधान नहीं हुआ कि अभिलेखों में प्राप्त जानकारी के अनुसार मांग से लगभग दो गुने से भी अधिक पी.ओ.एल. का आबंटन दिखाकर शासकीय राशि का आहरण का कोई युक्तिसंगत कारण है, यह स्पष्टतया शासन की बहुमूल्य संपत्ति (फण्ड) को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य है, जो जानबूझकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु किया गया। तकनीकी दृष्टि से यह न केवल शासकीय धनराशि का गलत आहरण है बल्कि लगातार किया जा रहा गबन था।

यहां मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को लगातार कतिपय वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गुप्त धमकियां दी जाती रहीं तथा जांच को प्रभावित किये जाने का प्रयास किया गया। इन्हीं धमकियों के कारण समिति के दो सदस्य श्री रामबिलास, उनि-अ, प्रभारी मुख्य लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला बलरामपुर एवं रविन्द्र साहू, सउनि-अ जांच कार्यवाही के दौरान भयवश जांच से विमुख होकर बिना किसी पूर्व सूचना के सीक पर चले गये। इन दो कर्मचारियों में से श्री रामबिलास लगभग दो माह पश्चात जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट मेरे कार्यालय में प्रेषित करने के उपरांत कर्त्तव्य पर उपस्थित हो गये हैं किंतु सउनि-अ रविन्द्र साहू आज दिनांक तक सीक पर ही हैं। समिति के सदस्यो को मिली धमकियों के संबंध में किसी के भी द्वारा लिखित में शिकायत नहीं दी गई किन्तु धमकियों के बारे में मौखिक रूप से अवगत कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुझे भी इस संबंध में अप्रत्यक्ष धमकीयां दी गईं, जिसका मैं इस प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

Scanned by CamScanner

इन गुप्त धमकियों के कारण व भविष्य में होने वाली अहित की आशंका से समिति के अध्यक्ष के द्वारा अंतिम पैराग्राफ में यह लिखा गया है कि "उपरोक्त अवधि की एस.आर.ई. मद व्यय राशि का ऑडिट 1. भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षण विंग 02. महालेखाकार कार्यालय छत्तीसगढ़, 03. पुलिस मुख्यालय रायपुर की ऑडिट टीम द्वारा ऑडिट किया गया है। त्रि-स्तरीय ऑडिट में एस.आर.ई. मद का व्यय पर विपरीत टिप्पणी नहीं है तथा समीक्षा में आए तथ्य या विसंगतियां सामने नहीं आई हैं। ऑडिटर/ऑडिट पार्टी एक विशेषज्ञ हैं, चुंकि उन्हें ऑडिट का विशेष ज्ञान व कुशलता प्राप्त है जिसकी जांच हो रही है। विभाग या न्यायालय सामान्यतः किसी विशेषज्ञ की राय/रिपोर्ट पर आसानी से दखल नहीं देते। रेंज के अधिकारियों की पी.ओ.एल. बाबत् समीक्षा एक अंदाजिया राय या ऑडिट होगी। ऑडिट रिपोर्ट अपने आप में वैधानिक रूप से निश्चायक सबूत माना जा सकता है। किन्तु ऑडिट रिपोर्ट से पृथक ऐसे सुसंगत दस्तावेजी तथ्य एवं साक्ष्य मौजूद हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट से भिन्न रिकॉर्ड का सही संधारण न होना एवं अनियमितता से है, ऐसा पाया गया है। परस्पर विपरीत ऑडिट रिपोर्ट पश्चात तीन कुशल ऑडिट को रद्द कराए बिना अकुशल ऑडिट टीम की समीक्षा पर कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। उचित होगा कि मान्यता प्राप्त सक्षम ऑडिट टीम को आए हुए तथ्यों से अवगत कराया जाकर पुनः ऑडिट हो। बड़ी ऑडिट के बिना समर्थित छोटी ऑडिट के आधार पर रिपोर्ट सुरक्षित एवं उचित नहीं है, चुंकि हमारी टीम की समीक्षा/ऑडिट इतना सटीक नहीं है कि अंतिम तौर पर सही माना जावे और इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी राय बनाते हुए त्रुटिकर्ताओं पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावे। न्यायहित में एवं दृढ़ रूप से कार्यवाही हेतु ऐसे तथ्यों को जो समीक्षा में आए हैं, विभाग द्वारा नियुक्त सरकारी नियमित सक्षम ऑडिट पार्टी को तथ्यों से अवगत कराया जाकर पुनः ऑडिट कराया जाना उचित होगा, ताकि रिपोर्ट के आधार पर दृढ़/न्यायसंगत कार्यवाही हो सके।"

<u>उपरोक्त टीप से मैं निम्नलिखित कारणों से सहमत नहीं हूं:-</u>

1. क्योंकि जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा यह लिखना कि रेंज के अधिकारियों की पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल बाबत् समीक्षा एक अंदाजीया राय या ऑडिट होगी तथा गठित समिति को अकुशल टीम मानना भ्रामक है क्योंकि स्वयं समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज श्री प्रशांत कतलम स्वयं 29 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हैं तथा कई स्थानों में आहरण संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिन्हें लेखा संबंधी पूर्ण ज्ञान है, इसके अतिरिक्त श्री संतोष वर्मा, मुख्य लिपिक, सूरजपुर एवं श्री रामबिलास, उ.नि. (अ), प्रभारी मुख्य लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को अपनी सेवा अवधि के दौरान लेखा संबंधी कार्य का लंबा अनुभव है। इसी तरह दो अन्य सदस्यों को भी लेखा व कार्यालय संबंधी कार्यों का पर्याप्त अनुभव है। अतः यह कहना कि रेंज के अधिकारी/कर्मचारियों की पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल समीक्षा संबंधी रिपोर्ट एक अंदाजिया राय होगी स्वीकार योग्य नहीं है।

2. जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट में अंकित ऑडिट रिपोर्ट के बारे में यह कहना चाहूंगा कि उपरोक्त अवधि में किये गये ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किये गये थे। उस समय तक कोई शिकायत नहीं थी। अतः यह त्रूटि उनके संज्ञान में नहीं आई। ऑडिट के दौरान वास्तविक तथ्यों को या तो ऑडिटर के सम्मुख आने नहीं दिया गया या ऑडिटर इस गहराई तक जाकर समीक्षा नहीं कर सके और वास्तविकता सामने नहीं आ सकी। ऑडिट रिपोर्ट में इन तथ्यों के न आ पाने से यह बचाव उपलब्ध नहीं हो जाता कि वास्तविक तथ्यों को भी झूठलाया जा सके, जो दस्तावेजों में उपलब्ध है।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

Scanned by CamScanner

3. जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराए गए 1. भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षण विंग 02. महालेखाकार कार्यालय छत्तीसगढ़, 03. पुलिस मुख्यालय रायपुर की ऑडिट टीम द्वारा किए गए ऑडिट रिपोर्ट का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया :-

(A) भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षण विंग द्वारा किए गए ऑडिट (अवधि दिनांक 01.10.2014 से 30.09.2017 तक) में मूलतः इस बात का ध्यान दिया गया है कि, जो राशि आबंटित की गई है वह CPMF/CAPFs और सुरक्षा पर खर्च की गई है अथवा नहीं । ऑडिट टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न एस.आर.ई. जिलों का एकसाथ ऑडिट किया गया है और ऑडिट रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से संबंधित है, विशेष रूप से बलरामपुर जिले के एम.टी. शाखा का ऑडिट नहीं किया गया है। एसआरई ऑडिट का उद्देश्य यह देखना था कि MHA द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन किया गया है अथवा नहीं। अतः ऑडिट रिपोर्ट को जिला बलरामपुर के एम.टी.शाखा में हुए आर्थिक अनियमितता के संबंध में बचाव का आधार नहीं बनाया जा सकता।

(B) महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट (अवधि माह फरवरी 2013 से माह नवंबर 2018 तक) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नमूना जांच (Sampeling Test) के आधार पर ऑडिट किया गया है। संपूर्ण अवधि का विस्तृत परीक्षण नहीं किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि एस.आर.ई. मद के अंतर्गत आबंटित बजट एवं व्यय से संबंधित दस्तावेजों का ऑडिट उक्त टीम द्वारा नहीं किया गया है। अतः इस ऑडिट रिपोर्ट को भी बलरामपुर जिले के एम.टी. शाखा में हुए आर्थिक अनियमितता के संबंध में बचाव का अधार नहीं बनाया जा सकता।

(C) इसी प्रकार माह 03/2015 से माह 09/2017 तक की अवधि का पुलिस मुख्यालय की टीम द्वारा ऑडिट किया गया है। इस ऑडिट टीप का विस्तृत अध्ययन किया गया। ऑडिट टीम द्वारा कुछ गंभीर अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है। मूलतः इस टीम द्वारा भी एस.आर.ई. मद में प्राप्त बजट एवं व्यय का ऑडिट नहीं किया गया है न ही टीप दी गई है। अतः यह टीप भी जिला बलरामपुर के एम.टी. शाखा में हुए आर्थिक अनियमितता के बचाव का आधार नहीं हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के साथ प्रदर्श "एन" पर संलग्न है।

NEWS JODA CHHATTISGARH

इसलिए समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात मैंने स्वयं उक्त अवधि में पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल के स्वीकृति, खर्च, वितरण एवं आहरण आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मेरे द्वारा 62वीं वाहिनी द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र के आधार पर प्राप्त पी.ओ.एल. का स्टेटेमेंट ("प्रदर्श-एच"), थाना प्रभारी सामरी द्वारा प्रस्तुत सी.आर.पी.एफ. को प्रदाय पी.ओ.एल. का स्टेटमेंट ("प्रदर्श-आई"), 81 वीं वाहिनी सी.आर.पी.एफ. द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर ("प्रदर्श-जे"), रक्षित केन्द्र जिला बलरामपुर-रामानुजगंज का वितरण रजिस्टर ("प्रदर्श-के"), एस.आर.ई. पी.ओ.एल. स्वीकृति रजिस्टर ("प्रदर्श-एल1 एवं एल2"), पी. ओ.एल. पर्ची एवं कोषालय में प्रस्तुत बिल वर्ष 2015 से 2017 ("प्रदर्श-एम1 से एम-3 तक") का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 के दौरान डीजल 118710 ली., पेट्रोल 43978 ली., मोबिल ऑयल 95 ली. के बिलों का आहरण शासकीय कार्य से भिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है।

<u>समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पूर्णतया सत्य है जो उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।शासन पुनः जिस एजेंसी से भी जांच करावे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलेगा।</u>

मुझे यह आशंका है कि जांच में आए तथ्यों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उपलब्ध दस्तावेजों के साथ भविष्य में छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा

Scanned by CamScanner

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक R-2/4163/19 दिनांक 27.12.2019 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज को पी.ओ.एल. संबंधित स्वीकृत बिल, पी.ओ.एल. मांगपत्र, रक्षित केन्द्र बलरामपुर के एम. टी. शाखा का मूल फ्यूल वितरण पंजी, पेट्रोल पंपों से आए बिल में संलग्न पर्ची, रक्षित केन्द्र बलरामपुर के एम. टी. शाखा का पी.ओ.एल. स्वीकृत पंजी, कार्यालय के मूल बिल कोषालय में प्रस्तुत किए जाने संबंधी दस्तावेज, बिल रजिस्टर, बी.टी.आर. रजिस्टर, सी.आर.पी.एफ. 62 वीं वाहिनी/सी.आर.पी.एफ. 81वीं वाहिनी के द्वारा मांग पत्र एवं रक्षित केन्द्र बलरामपुर तथा थानों से डीजल/पेट्रोल हेतु जारी पर्ची एवं इससे संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों की सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया है, जो प्रदर्श ''ओ'' है। इसी प्रकार कोषालय अधिकारी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/पुमनि/सर/आर-2/एम/4176/19 दिनांक 28.12.2019 के माध्यम से उल्लेखित अवधि के कोषालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की विशेष सुरक्षा बाबत् निर्देशित किया गया है, जो प्रदर्श ''पी'' है। पत्र क्रमांक/पुमनि/सर/आर-2/एम/4175/19 दिनांक 28.12.2019 के माध्यम से पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा जारी किए गए पर्ची, पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल एवं उन्हें भुगतान की गई राशि एवं अन्य संबंधित दस्तावेज पेट्रोल पंप मालिकों को सुरक्षित रखने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को निर्देशित किया गया है, जो प्रदर्श ''क्यू'' है।

पेट्रोल/डीजल के अनियमित आबंटन का कार्य यदि एक दो माह में होता तो यह माना जा सकता था कि इकाई प्रमुख के संज्ञान में यह तथ्य न आया हो परंतु लगातार उनके कार्यकाल में अनियमित आबंटन हुआ है। इस अतिरिक्त आबंटन के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। इसके पश्चात भी इकाई प्रमुख कोई संज्ञान नहीं लेता है तो यह उनके मिलीभगत का परिचायक है, अनजाने में किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता।

विभागीय प्रक्रिया के तहत बिल प्राप्त होने पर एम.टी. के बिलों की सत्यता जांच भुगतान के पूर्व त्रि-स्तरीय रूप से की जाती है। बिल प्राप्त होने पर एम.टी. शाखा प्रभारी बिल का परीक्षण कर स्वीकृति रजिस्टर में इंद्राज कर अपने हस्ताक्षर उपरान्त रक्षित निरीक्षक के समक्ष पेश करता है। रक्षित निरीक्षक द्वारा भी बिलों की जांच की जाती है, कागजात का परीक्षण किया जाता है तथा स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया जाता है। पुलिस अधीक्षक का दायित्व है कि स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित करे की जिस राशि की स्वीकृति की जा रही है, वह उसी प्रयोजन हेतु खर्च की जा रही है। सभी आवश्यक दस्तावेज जिनके आधार पर स्वीकृति दी जा रही है, संलग्न है। शासकीय राशि का दुरूपयोग न हो, गबन न हो यह देखने की जिम्मेदारी अधिनस्थ कर्मचारी के अतिरिक्त इकाई प्रमुख की होती है। त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था के बाद भी यदि गलत स्वीकृतियॉं दी जाती रही है तो बिना सहभागिता एवं व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के संभव नही है।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान सूबेदार विकास नारंग को वाहन शाखा का प्रभार दिया गया था परंतु वाहन शाखा में पदस्थ जी.डी. प्र.आर. 108 कल्याण सिंह के द्वारा उन्हें वाहन शाखा का प्रभार नहीं सौंपा गया। इस संबंध में सूबेदार श्री विकास नारंग द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया फिर भी उन्हें एम.टी. शाखा का प्रभार नहीं दिलाया गया, जो पुलिस अधीक्षक एवं एम.टी. में कार्य कर रहे प्रधान आरक्षक कल्याण सिंह की मिलीभगत को इंगित करता है। एम.टी. शाखा के वरिष्ठ स.उ.नि. बाबूलाल धीवर के द्वारा यह बताया गया है कि वह पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर अपनी गुजारिश किया था कि वह एम.टी. का ही कर्मचारी है अतः उसे एम.टी. का प्रभार दिया जावे किन्तु उसे प्रभार नहीं दिया जाकर एक जी.डी. प्रधान आरक्षक से एम.टी. शाखा का कार्य कराया जाता रहा।

Scanned by CamScanner

श्री सदानंद कुमार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं उनके अधिनस्थ सहयोगियों के द्वारा जिनके नाम ऊपर पेज क्रमांक 04 के बिन्दु क्रमांक 03 में अंकित हैं, जरूरत से अधिक शासकीय धन शासकीय खजाने से आहरित कर अनावश्यक भुगतान कर उसका दुरूपयोग किया गया है। शासकीय धन के व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के अपने कर्तव्यों का पालन न कर अपने अधिनस्थ तत्समय तैनात कर्मचारियों के मदद से शासकीय धन का अवैधानिक आहरण एवं संवितरण कर दुरूपयोग किया गया है।

कृपया समुचित कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

संलग्न :-

01. आवेदक [redacted] सरगुजा द्वारा प्रस्तुत संदर्भित शिकायत आवेदन पत्र (01 पन्ना)।
02. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा प्रस्तुत संदर्भित जांच प्रतिवेदन **"प्रदर्श-एन"** (पेज क्रमांक 01-ए से पेज क्रमांक 237 तक)।
03. प्रदर्शों की सूची (पेज क्रमांक 1 से 3 तक)।
04. "प्रदर्श ए-1" से "प्रदर्श एम-3" तक (सरल क्रमांक/पेज क्रमांक प्रदर्शों की सूची के अनुसार कुल 1008 पन्ने)।
05. समीक्षा रिपोर्ट के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज एवं कोषालय अधिकारी को जारी पत्रों की छायाप्रति ("प्रदर्श-ओ", "प्रदर्श-पी" एवं "प्रदर्श-क्यू") कुल चार पन्ने।
06. प्र.आर. 108 वाहन शाखा, बलरामपुर को जारी पत्रों की छायाप्रति ("प्रदर्श आर-1, आर-2 एवं आर-3") कुल तीन पन्ने।

NEWS TODAY CHHATTISGARH

पुलिस महानिरीक्षक
सरगुजा रेंज

पृ. क्रमांक/ पुमनि/सर/आर-2/ई/ 120 . A /2020 दिनांक 16 /01/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रतिवेदन से संबंधित संलग्न दस्तावेजों की सी.डी. सहित।
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रतिवेदन से संबंधित संलग्न दस्तावेजों की सी.डी. सहित।

16.1.2020

पुलिस महानिरीक्षक
सरगुजा रेंज

Scanned by CamScanner